


तारीख हुक्म	<p>हुक्म या कार्यवाही मय-इनिशियल्स जज कैलाश बनाम राजस्थान सरकार अपील संख्या 341/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00295)</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2020 से तलबी में ही विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं और आज भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अन्तरसिंह नेहरा) समागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	